

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/91336/FIR/FIROZABAD/988/CFO

दिनांक: 02-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO-760-1, VILL- GOUNCHH, FIROZABAD** तहसील - **FIROZABAD**, प्लॉट एरिया **8020 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2762.28** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	11.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VED PRAKASH SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-08-2023** से **04-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : भवन के सैट बैंक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती है एवं भवन के पहुँच मार्ग व सेटबैंक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढाँचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड अग्निशमन विभाग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। भवन के प्रवेश/निकास द्वार को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जाये। भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Satyendra Prasad Pandey)

[B6E0E55BC9A48E07B1E7CDA5052B354287871200]

05-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-08-2023
स्थान : FIROZABAD